न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 431/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

1. अंकित पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार
2. हनुमान पूनियाँ पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार | जाति जाट नि. नगराना तह संगरिया, जिला–हनुमानगढ़.(राज0)

–वादीगण

बनाम्

1. सन्तरो पत्नी स्व.श्री साहबराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व.श्री साहबराम
3. कमला पुत्री स्व.श्री साहबराम
3. कान्ता पुत्री स्व.श्री साहबराम
4. मन्जू पुत्री स्व.श्री साहबराम | जाति जाट नि. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ.(राज0)
5. तहसीलदार, (राजस्व), संगरिया ,तहसील– संगरिया, जिला–हनुमानगढ(राज0)
6. तहसीलदार, (राजस्व), टिब्बी ,तहसील– टिब्बी, जिला–हनुमानगढ(राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सुनील टाण्डी वकील वादीगण
2. श्री विवेक बुढानियाँ – वकील प्रति सं. 1 ता 5

निर्णय

दिनांक :– 4.11.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0:– 01 ता 5 आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी स. 1 वादीगण कि दादी व प्रति.सं. 2 ता 5 कि माता है। प्रतिवादी सं. 2 वादीगण का पिता है। तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 वादीगण कि सगी बुआ है। प्रतिवादी स. 01 सन्तरो के नाम से तहसील संगरिया के चक नं0 4 एम0एम0के0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2073–76 के खाता सं0 151/23 मे 5.819 हैक्ट मे से 1/2 हिस्सा अर्थात 2.9095 हैक्ट व तहसील संगरिया के चक नं. 2 एम0एम0के0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2071–74 के खाता स. 63/10 मे 0.417 हैक्ट मेसे 1/2 हिस्सा अर्थात 0.2085 हैक्ट तथा तहसील टिब्बी के चक नं0:–10 एम0के0एस0 बी कि जमाबन्दी सम्वंत 2075–78 के खाता स. 45/11 मे 4.805 हैक्ट मे से 1/2 हिस्सा अर्थात 2.4025 हैक्ट कृषि भुमि [illegible] की जमाबन्दी संलग्न वाद–पत्र है। जो वादपत्र का आधार है। प्रतिवा[illegible] वादीगण कि दादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के माता है। जो [illegible] है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भुमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा आपसी सहमति व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारनामा के रोज से ही वादी व प्रतिवादीगण बंटवारनामा में प्राप्त कृषि भुमि पर काबिज होकर बिना किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.22 14:22:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि मे जो भी विरास्तन हक व हिस्सा बनता था उसको अपने पास नही रखना चाहते है इसलिए अपने उक्त हक व हिस्सा का त्याग मौखिक रूप से अपने पौत्रो/पुत्रो/भतिजो वादीगण के पक्ष मे ब.हि.ब. कर दिया है। कब्जा बाबत् आपस में कोई विवाद नही है, उक्त कृषि भुमि में इस प्रकार वादीगण को ब.हि.ब. घरू बंटवारनामा में निम्नलिखित कृषि भुमि प्राप्त हुई है: चक नं. 4 एम0एम0के0 के खाता सख्या. 151/23 में 2.9095 ***हैक्ट*** चक नं 2 एम0एम0के0 के खाता सं. 63/10 में 0.2085 हैक्ट चक नं. 10 एम0के0एस0 बी के खाता नं. 45/11 मे 2.4025 हैक्ट कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भुमि में जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त कृषि भूमि वादीगण दादा व प्रतिवादी 2 ता 5 के पिता एव प्रतिवादी सं0–1 के पति स्व.श्री साहबराम से विरासतन में प्राप्त हुई है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारनामा कर लिया है उक्त बंटवारनामा के अनुसार ही वादीगण वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कृषि भुमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहें है। परन्तु उक्त कृषि भुमि वादीगण की दादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के माता एव प्रतिवादी सं. 1 सन्तरो के नाम होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर बूरा प्रभाव पड़ रहा है तथा सदैव झगड़ा होने का अन्देशा बना रहता है, इसी कारण वादीगण उक्त कृषि भुमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाना चाहते है। वादीगण को उक्त कृषि भुमि अपने दाद स्व.श्री साहबराम से विरास्तन में प्राप्त हुई थी, जिसमें वादीगण का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा हो चुका है व उसी के मुताबिक वादीगण काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के दादी सन्तरो के नाम होने के कारण वादीगण को भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिये वादीगण अपने नाम की घोषणा करवाने के हक मुस्त हक व दावेदार है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से वाद–पत्र की चरण सं0:–04 में वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे परन्तु कल उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, बस यही वाद कारण है। वादीगण को उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारनामा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया तो वादीगण को कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं आंकी जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादी सं. 6 व 7 को लैण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.22 14:22:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लिहाजा वाद वादीगण पेश कर अर्ज है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि वादीगण को वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण को चक नं. 4 एम0एम0के0 के खाता संख्या 151/23 में 2.9095 ***हैक्ट*** व चक नं. 2 एम0एम0के0 के खाता सख्या 63/10 मे दर्ज 0.2085 हैक्ट तथा चक नं 10 एम0के0एस0 बी के खाता संख्या 45/11 मे दर्ज 2.4025 हैक्ट कृषि भुमि का ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के दादी प्रतिवादी सं.01 संन्तरो का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय इकबालदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया। जवाबदावा मय इकबालदावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6,7 की ओर जवाब स्टेट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। साक्ष्य वादी में वादी अंकित ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 4 एमएमके खाता संख्या 151/23 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 1/2 हिस्सा यानि 2.9095 है. व चक 2 एमएमके खाता संख्या 63/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में 1/2 हिस्सा यानि 0.2085 है. एवं चक 10 एमकेएस–बी खाता संख्या 45/11 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में 1/2 हिस्सा यानि 2.4025 है कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सन्तरो पत्नी स्व. श्री साहबराम के नाम दर्ज है जो हमारी जद्‌दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है एवं वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है इसलिए वादपत्र को स्वीकार किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है [illegible] 4 एमएमके खाता संख्या 151/23 जमाबन्दी सम्वत 2073–20[illegible] संख्या 63/20 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 एवं चक 1[illegible] संख्या 45/11 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 से विरास्तन साबित नही है। प्रतिवादी [illegible]ख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा मय इकबालदावा पेश किया जा चुका है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.22 14:22:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर यह पाया गया कि पक्षकारान ने राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए यह कार्यवाही की है। जिससे न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व राज्य हित को देखना नितान्त आवश्यक समझा और ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजस्व संगरिया/टिब्बी को नियमानुसार 10000/– रूपये के स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने के आदेश दिये जाकर वाद वादीगण मुताबिक जवाबदावा मय इकबालदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– तहसीलदार राजस्व संगरिया/टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार 10000/– रूपये की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमाकरवाकर प्रतिवादी सं. 1 सन्तरो पत्नी स्व.श्री साहबराम के नाम दर्ज चक 4 एमएमके खाता संख्या 151/23 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 1/2 हिस्सा यानि 2.9095 है. व चक 2 एमएमके खाता संख्या 63/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में 1/2 हिस्सा यानि 0.2085 है. एवं चक 10 एमकेएस–बी खाता संख्या 45/11 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में 1/2 हिस्सा यानि 2.4025 है. कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaush
Date: 2024.11.22 14:22:04 I
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 431/2024

1. अंकित पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार
2. हनुमान पूनियाँ पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार

जाति जाट नि. नगराना तह संगरिया, जिला–हनुमानगढ़,(राज0)

–वादीगण

बनाम्

1. सन्तरो पत्नी स्व.श्री साहबराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व.श्री साहबराम
3. कमला पुत्री स्व.श्री साहबराम
4. कान्ता पुत्री स्व.श्री साहबराम
4. मन्जू पुत्री स्व.श्री साहबराम

जाति जाट नि. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ,(राज0)

5. तहसीलदार, (राजस्व), संगरिया ,तहसील– संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)
6. तहसीलदार, (राजस्व), टिब्बी ,तहसील– टिब्बी, जिला–हनुमानगढ(राज0)

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील टाण्डी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री विवेक बुढ़ानियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया/टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार 10000/– रूपये की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमाकरवाकर प्रतिवादी सं. 1 सन्तरो पत्नी स्व.श्री साहबराम के नाम दर्ज चक 4 एमएमके खाता संख्या 151/23 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 1/2 हिस्सा यानि 2.9095 है. व चक 2 एमएमके खाता संख्या 63/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में 1/2 हिस्सा यानि 0.2085 है. एवं चक 10 एमकेएस–बी खाता संख्या 45/11 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में 1/2 हिस्सा यानि 2.4025 है. कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.....X.....नल.....X..मुब्लिक..X....निल.....X...बाबत्...X...निल....X..खर्चा [illegible]

मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी [illegible] X [illegible]

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक [illegible]

किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaush
Date: 2024.11.22 14:22:04 IS
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया